XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 1094–तीन / 2000

जिला – राजगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5.9.14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर उभयपक्षों द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया । अनावेदक की ओर से यह प्रारंभिक आपत्ति ली गई है कि आवेदकों द्वारा इस न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका क्रमांक 1788 / 2000 प्रस्तुत की गई है, इस कारण यह रिव्यू आवेदन निरर्थक हो गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अनावेदक की उक्त आपत्ति का कोई खंडन नहीं किया गया है । दर्शित परिस्थिति में अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को देखते हुए यह रिव्यू प्रकरण निरर्थक हो जाने से समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख वापिस हों प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (एम.के. सिंह) सदस्य, राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर	

10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश भोपाल   रिव्यू 1094-III/2000

श्री एकम के कुल्ला अभि. द्वारा अभ्र डि. 21-6-2000 को मोमला कुंप पर पेश किया। निरीक्षा 21/6/2000 रीडर

पुर्नवलोकन......../2000

गणेशराम पुत्र रामप्रसाद निवासी
नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ ------------------ आवेदक

विरुद्ध

1) धन्नी बाई पत्नि श्री मोहनलाल
निवासी नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़
2/ मोहन लाल पत्र गंगाराम नि0
नरसिहगढ़, जिला राजगढ़ ------------------ अनावेदिका गण

"रामस्वरूप सैनी पुत्र मोहनलाल सैनी आयु 23 वर्ष पेशा कृषि निवासी मो हल्ला सूरजपोल नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ म.प्र."

न्यायालय के आदेश दिनांक 4-8-1998 अनुसार संशोधन किया।

पुर्नरावलोकन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0भू0रा0सं0

आवेदक कि ओर से निम्न निवेदन है :-

§1§ यह कि माननीय राजस्व मण्डल के पीठासीन अधिकारी श्री विनय शुक्ला द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 434-3/99 श्रीमती धन्नी बाई विरुद्ध गणेशराम व अन्य मे पारित निर्णय दिनांकित 24-3-2000 से क्षुब्ध व दुखित होकर निम्न तथ्यो एवं आधारो पर उक्त पुर्नरावलोकन आवेदन आवेदक प्रस्तुत करना पड़ा है जो इस प्रकार है :-

:: तथ्य ::

§1§ यह कि नरसिंहगढ़ स्थित कृषि भूमि खसरा नं. 735,736,737 एवं 738 कुल किता 4 कुल रकबा 2.097 हेक्टर वर्ष 1967 मे गणेशराम के पिता रामप्रसाद व रामस्वरूप ने 1,000 रूपये मे उक्त कृषिभूमि स्वयं के व्यय से क्रय की थी जिसका कि सरकारी रिकार्ड मे पूर्व मे ही उल्लेख है व उक्त प्रकरण मे आवश्यक दस्तावेज पूर्व से ही संलग्न है ।

§2§ यह कि रामनारायण पुत्र हरिनराम ने एवं आवेदक ने तहसील न्यायालय मे नामान्तरण बाबत धारा 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया कि उक्त खसरा क्रमांक नं. 735 से 738 तक की कृषि भूमि मे मोहन लाल पिता गंगाराम का नाम दर्ज है व 6-7 साल से उस भूमि

क्रमशः---2/-